C. M. IBRAHIM): (a) The Government continues to be guided by the Cabinet Decision of 1955 which inter-alia prohibits publication of foreign owned newspapers/periodicals and of Indian editions of foreign newspapers/ periodicals dealing mainly with news and current affairs.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

Newsitem regarding CBI Proceedings against Financial Institutions

*540. SHRI SATISH AGARWAL: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether the newsitem appearing in the "Business Standard" of 1st June, 1996, under the caption "CBI seeks to proceed against FIs" has come to the notice of Government;

(b) if so, whether the clearance sought by CBI was given and what is the result of the investigation; and

(c) what further action is proposed to be taken in the matter?

THE MINISTER OF FINANCE AND MINISTER OF COMPANY AFFAIRS (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) A decision in this regard is yet to be taken.

टी०वी० धारावाहिक पास करने में कदाचार बरता जाना

3486. **श्री कनकसिंह मोहनसिंह मंगरोला:**
श्री नागमणि:

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि टी० वी० धारावाहिक पास करने की प्रक्रिया में अनेक कदाचारों का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों में पता लगाए गए ऐसे कदाचारों का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस बात को सुनिश्चित करने के लिए क्या प्रयास किये गये हैं कि धारावाहिक पास करने की प्रक्रिया में कई अच्छे धारावाहिकों को बढ़ावा मिले; और

(घ) ऐसे कदाचारों के कारण पास किये गये धारावाहिकों के अलोकप्रिय होने के कारण दर्शकों द्वारा दूसरे चैनलों को देखना आरम्भ करने पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री सी० एम० इब्राहीम): (क) विभिन्न केन्द्रों और दूरदर्शन महा-निदेशालय में समय-समय पर इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त होती हैं। गंभीर प्रकृति और प्रक्रियात्मक अनियमितताओं वाली शिकायतों की जांच विभागीय रूप से की जाती है और जहां आवश्यक होता है, मामला केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी०बी०आई०) को भेजा जाता है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस प्रकार की छः शिकायतें प्राप्त हुई थीं जिनमें से दो की सी०बी०आई० जांच की गई है/की जा रही है। एक मामले में, सी०बी०आई० ने संबंधित अधिकारी के विरुद्ध अभियोजन कार्यवाही आरंभ की है जबकि दूसरे मामले में, इसके द्वारा अभी भी जांच की जा रही है शेष चार मामलों में विभागीय जांच का कार्य प्रगति पर है

(ग) और (घ) यह सुनिश्चित करने के लिए कि केवल हितकारी मनोरंजन के साथ-साथ उच्च सामाजिक मूल्यों को प्रचारित करने वाले अच्छी गुणवत्ता के धारावाहिक स्वीकृत किए जाए, चयन समिति द्वारा दूरदर्शन की आवश्यकताओं और निर्देशक, कार्यकारी निर्माता, लेखक कमीशंड आदि के पिछले रिकार्ड को ध्यान में रखते हुए धारावाहिकों का चयन किया जाता है। दूरदर्शन का यह भी सतत प्रयास रहता है कि दर्शकों की रुचि को बनाए रखने हेतु अपने कार्यक्रमों में गुणात्मक सुधार किया जाए।

Functioing of AIIMS

3487. SHRI RAHASBIHARI BARIK: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the working condition of All India